

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19.11.2024*

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01.- उमेश पुत्र जगदीश उर्फ विपत निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02.- महिला वारण्टी निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।**

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, अतीश कुमार यादव, का0 संदीप यादव, म0का0 अर्चना यादव, म0हो0गा0 ईशा पाण्डेय ।

दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अजीब उर्फ डेलवा पुत्र मुस्लिम निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सूर्यनारायण गुप्त, का0 मुकेश कुमार, का0 भीम कुमार ।

धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता बाबूराम पुत्र बसन्त निवासी हड़िया माफी थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर वर्तमान पता ग्राम चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अरविंद कुमार यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा ऑटो व बाईक में टक्कर हो जाने के कारण घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5996 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत टुंग्पार से इवेंट सं0 39295 द्वारा कालर ने ऑटो और बाईक में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1. प्रियंका पत्नी शेखर ग्राम दलेलगंज थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजनाथ यादव, आ0 अनुराग यादव, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 313 वाहनों से 2,96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 19.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 313 वाहनों से 2,96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।